

## अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम— मण्डावर (दौसा)

मु.नं.— 42/22 (विविध) उनवान राजस्थान सरकार जरिये तहसलीदार मंडावर बनाम रामफूल वगैरह  
भू0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 131, 132 व राज. भू. नियम 1957 की धारा 58, 59, 60, 66 एवं 86

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इ हुक्म की तामी में जारी हुए
20.12.2022	<p>आज पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार मंडावर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के नियम की धारा 131 एवं नियम 57 के नियम 58, 59, 60 एवं 66 व 86 के अन्तर्गत स्थाई रूप से चालू रास्ता को राजस्व अभिलेख में रास्ता अंकित करने हेतु इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम सरावली तहसील मंडावर स्थित आराजी ख0 नं0 1/0.21 मे से 0.01 है0, 2/0.21 मे से 0.01 है0, 3/0.09 मे से 0.01 है0, 4/0.15 मे से 0.01 है0, 5/0.15 मे से 0.01 है0, 6/0.21 मे से 0.01 है0, 7/0.22 मे से 0.01 है0, 8/0.22 मे से 0.01 है0, 9/0.22 मे से 0.02 है0, 10/0.17 मे से 0.02 है0, 11/0.17 मे से 0.02 है0, 12/0.17 मे से 0.01 है0, 41/0.69 मे से 0.02 है0, 42/0.70 मे से 0.02 है0, एवं 44/0.30 मे से 0.02 है0, भूमि सार्वजनिक रास्ते के उपयोग में आ रही है। किन्तु राजस्व अभिलेख में रास्ता दर्ज नहीं है। तहसीलदार मंडावर द्वारा प्रा0 पत्र के साथ सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग में आ रही भूमि की जमाबंदी व नक्शा ट्रेस जिसमें प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से दर्शाया गया है। तहसीलदार मंडावर की मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता मौके पर स्थाई रूप से चालू है। तहसीलदार मंडावर ने प्रस्ताव अनुसार रास्ता स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया है। हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2072-75 के अनुसार ग्राम सरावली तहसील मंडावर स्थित प्रस्तावित भूमि की खातेदारी विभिन्न खातेदारान के नाम दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार मंडावर की मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता मौके पर स्थाई रूप से चालू है। जिसे नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से प्रदर्शित किया गया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ग्राम सरावली तहसील मंडावर स्थित आराजी ख0 नं0 1/0.21 मे से 0.01 है0, 2/0.21 मे से 0.01 है0, 3/0.09 मे से 0.01 है0, 4/0.15 मे से 0.01 है0, 5/0.15 मे से 0.01 है0, 6/0.21 मे से 0.01 है0, 7/0.22 मे से 0.01 है0, 8/0.22 मे से 0.01 है0, 9/0.22 मे से 0.02 है0, 10/0.17 मे से 0.02 है0, 11/0.17 मे से 0.02 है0, 12/0.17 मे से 0.01 है0, 41/0.69 मे से 0.02 है0, 42/0.70 मे से 0.02 है0, एवं 44/0.30 मे से 0.02 है0, में प्रस्तावित रास्ता सार्वजनिक रूप से बना हुआ एवं सार्वजनिक रूप से रास्ते के काम आ रहा है। इस प्रकार की भूमि को राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.3(2) राजस्व/2003 दिनांक 10.08.2016 द्वारा राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करने की शक्तियां उपखण्ड अधिकारी को प्रदान की गयी है। अतः राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तहसीलदार मंडावर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाता है। ग्राम सरावली के आराजी खसरा नम्बरान 1/0.21 मे से 0.01 है0, 2/0.21 मे से 0.01 है0, 3/0.09 मे से 0.01 है0, 4/0.15 मे से 0.01 है0, 5/0.15 मे से 0.01 है0, 6/0.21 मे से 0.01 है0, 7/0.22 मे से 0.01 है0, 8/0.22 मे से 0.01 है0, 9/0.22 मे से 0.02 है0, 10/0.17 मे से 0.02 है0, 11/0.17 मे से 0.02 है0, 12/0.17 मे से 0.02 है0, 41/0.69 मे से 0.02 है0, 42/0.70 मे से 0.02 है0, एवं 44/0.30 मे से 0.02 है0, भूमि को प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। खातेदारी यथावत बनी रहेगी तहसीलदार मंडावर को आदेश जारी किये जावे कि उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज किया जावे नक्शा ट्रेस इस आदेश का भाग होगा। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	